वित्तीय स्वीकृति

संख्या-14/2016/भा0स0 22/52-3-16-बजट(16)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□ सरकार द्वारा लाट सं0-2108 हेतु वर्ष 2014-15 हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र □0-□□-8-4/2015, □□-19, दिनांक 10.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत उपरोक्त शासनादेश द्वारा 2108 मदरसों की लाट के सापेक्ष 2039 मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2014-15 के□□□□□ □□ लिए अनुमोदित की गयी धनराशि रू0 36,69,12,000/- के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 18,34,56,000/- (रू0 अठारह करोड़ चैतिस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 0 02,44,71,24,000/-का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 01,74,28,02,000/-की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 70,43,22,000/-की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 18,34,56,000/- (रू0 अठारह करोड़ चैतिस लाख छप्पन हजार मात्र) निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैः-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 30-6-2016 □□ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त □□□□□ □□ □□□□□/वेतन मद में दोहर □□□□ □ □□□□□□□ पारदर्शिता बनी रहे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता , तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोख व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को प्रश्नगत अवधि के मानदेय के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में इस अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित शिक्षक को नही किया गया है

(6) उक्त स्वीकृत ध राशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(7) इस धनराशि से शिक्षकों को उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी □□

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों □ अरबी फारसी मदरसों व आधुनिकीकरण (के0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□0-1-925 /□□-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्गत दशा निर्देशो व□ अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-भा0स0 22/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भ□□□ □□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इ□□□□□□

5- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 श□□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 □□□□ □

9- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□ □

10- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□□

11- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in